संख्या ए वी एन-14017/31/81-स्था0(आर0आर0)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7-6-1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारियों की पात्रता।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पद/सेवा के लिए भर्ती नियम बनाने आवश्यक होते है। भर्ती नियमों को बनाने की पद्धतिको सुविधा जनक बताने के लिए इस विभाग ने दिनांक 22 मई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/24/76- स्था(आर0आर0) द्वारा मंत्रालयों/विभागों को मार्ग दर्शक सिद्धांत जारी किए थे। इन मार्ग दर्शक सिद्धातो में किसी पद/सेवा के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती की विभिन्न पद्धतियों जैसे पदोन्नति/सीधी भर्ती /प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक करार) /स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन का प्रावधान है। विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता, पद के लिए अपेक्षित कार्यों के स्वरूप अर्हताओं और अनुभव के साथ-साथ संबंधित प्रभाग के संगठनात्मक ढांचे पर भी निर्भर करती है। किसी ऐसी परिस्थिति में, जहां पदोन्नति के क्षेत्र में केवल एक ही पद हो वहां प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक करार सहित)/पदोन्नति द्वारा भर्ती की पद्धति निर्धारित की जाती है, जिससे कि बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ विभागीय अधिकारी पर भी विचार किया जा सके। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अधिकारी का चयन कर लिया जाता है तो यह माना जाता है कि उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया है। अन्यथा पद को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति/करार द्वारा भरा गया माना जाता है। अन्य मामलों में, जहां पदोन्नति का क्षेत्र व्यापक है अर्थात पोषक (फीडर) ग्रेड में स्वीकृत पदों की संख्या कम से कम 3 से 5गुने

तक है, वहाँ पदोन्नति का प्रावधान पहली पद्धति के रूप में किया जाता है अथवा कुछ प्रतिशत रिक्तियाँ पदोन्नति के लिए और कुछ प्रतिशत रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति द्वारा स्थानान्तरण अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अलग रख ली जाती है। ऐसे मामलों में, यदि पोषक ग्रेड के विभागीय अधिकारी उच्चतर पद के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्णत: अर्हक पाए जाते हैं और पात्रता के मानदण्डों को भी पूरा करते है, तो उन पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। यदि विभागीय अधिकारी पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो उस पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए दुबारा विचार करना उचित न होगा। प्रतिनियुक्ति वस्तुत: सामान्य माध्यम से अलग प्रकार की नियुक्ति होती है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार पोषक प्रवर्ग के जो विभागीय अधिकारी पदोन्नति की सीधी लाइन में आते है, उन पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए विचार नही किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे भर्ती नियमों को बनाते समय इसे ध्यान में रखें और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विद्यमान भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करें।

के 18/ राम कृष्ण राव

(के0एस0आर0 कृष्ण राव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:

1- राज्य सभा सचिवालय

2- लोक सभा सचिवालय

3- संघ लोक सेवा आयोग

4- गृह मंत्रालय/कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।